(f) if so, what is the response of Government thereto?

THE MINISTER FOR TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (f) Government have received a few representations regarding the import of reportedly low priced fabrics from some South East Asian countries.

Presently fabrics can be imported against Special Import Licences at the normal rate of duty, i.e. 50 per cent, which is quite appreciable. Also the extent of access through the Special Import Licence (SIL) route is limited. Besides a specific customs duty, as an alternative to the ad-valorem customs duty, on a whichever is higher basis can also be applied, should the need arise, to discourage the import of low priced textile products Apart from the normal customs duty, an additional duty equivalent to the excise duty etc., paid by the domestic industry can also be imposed on the imports. Because of these reasons, the import of textile and clothing items are not likely to expose Indian industry to the danger of being flooded by imports of low priced textiles from other countries.

Various factors determine the cost of polyester fabric such as the cost of raw materials, wages, power; age and cost of manufacturing machinery, level of technology, interest rate, fiscal levies etc. Reliable data pertaining to other countries on the cost of various items required for the manufacture of polyester fabrics is not available.

**हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद का सुझाव**

7018. **श्री राम जेठमलानी :**
**श्रीमती सुषमा स्वराज :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने सरकार से यह आग्रह किया है कि वस्त्र निर्यात से संबंधित सभी बुनकरों को राजसहायता के द्वारा लाभांवित किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के आग्रह को क्रियान्वित करने की संभावनाओं पर विचार किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने हैंक यार्न के वर्तमान अनिवार्य उत्पादन के प्रतिशत में वृद्धि करने का भी आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को हैंक यार्न के अनिवार्य उत्पादन से छूट दे दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह छूट दिये जाने के कारण हैंक यार्न के उत्पादन में कमी होने की संभावना है ; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या सरकार हैंक यार्न के अनिवार्य उत्पादन के प्रतिशत को बढ़ाने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटास्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) चूंकि बुनकरों के कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बनाई गई जनता की योजना के क्रियान्वायन के लिये बजट आबंटित किया गया और समिति राशि की उपलब्धता को मद्दे नजर रखते हुये हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के अनुरोध को भारत सरकार स्वीकार नहीं कर सकी।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम और इसकी संबद्ध इकाईयों को वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिये अपनी बाध्यता पूरी करने हेतु और अधिक समय दिया गया है

और यह शर्त लगाई गई है कि इन दो वर्षों के दौरान आदेश और वास्तविक डिलीवरी में हुई कमी राष्ट्रीय वस्त्र निगम आगामी 3 वर्षों अर्थात 1995-96, 1996-97, और 1997-98 में पूरी कर लेगा इसके अतिरिक्त और कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**सूती धागे के निर्यात पर प्रतिबंध**

7019. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
**श्री राम जेठमलानी :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश से सूती धागे के निर्यात पर लगी सीमा संबंधी रोक को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह रोक किस तिथि को वापस ली गई तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अब सूती धागे का देश से मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे निर्यातों पर अभी भी किस प्रकार के प्रतिबंध लगे हुये हैं ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सूती धागे के निर्यात को दिये जा रहे प्रोत्साहन के कारण देश की कपड़ा मिलों तथा विद्युतकरघों को कच्चे माल की आपूर्ति के प्रभावित होने की संभावना है तथा इसकी कीमतें और बढ़ जाएंगी; और

(च) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सूती कपड़ा लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक लाभकारी है क्योंकि यह देश की जलवायु के अनुकूल है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (च) सरकार वर्ष 1986 से वर्ष दर वर्ष आधार पर सूती यार्न के निर्यात पर मात्रात्मक अधिकतम सीमा निर्धारित करके सूती यार्न के निर्यात के मामले में एक प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाती रही है। अपरिष्कृत कपास के संबंध में उत्पादन तथा घरेलू मांग, सूती यार्न का उत्पादन तथा कीमत, विकेंद्रीकृत हथकरघा क्षेत्र की यार्न की आवश्यकता आदि, जैसे सभी संबंधित घटकों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने वर्ष 1995 के लिये सूती यार्न के निर्यातों के लिये अंतिम अधिकतम सीमा में कटौती करने का निर्णय लिया है। वर्ष 1994 के दौरान रीलीज की गई सभी कांउटों के लिये 130 मिलियन कि०ग्रा० की अंतिम अधिकतम सीमा की तुलना में वर्ष 1995 के लिये अधिकतम सीमा को 75 मिलियन कि०ग्रा० तक घटाया गया है। तथापि 75 मिलियन कि० ग्रा० की घटाई गई अधिकतम सीमा, 1–40 काउंट समूह में केवल सूती यार्न के निर्यातों के लिये लागू होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि 75 मिलियन कि० ग्रा० की अधिकतम सीमा में से 23 कि० ग्रा० की मात्रा को कोटा देशों को निर्यात के लिये अलग रखा जायेगा तथा 52 मिलियन कि० ग्रा० की लोग अधिकतम सीमा को 26 मिलियन कि० ग्रा० की दो छमाही किस्तों में वितरित किया जायेगा।

यह सही है कि सूती कपड़ा सिन्थेटिक तथा मिश्रत कपड़े की तुलना में स्वास्थ्य के लिये अधिक अनुकूल है।

---

12.00 Noon

**PAPERS LAID ON THE TABLE**

I. Report and Accounts (1993-94) of Textile Committee, Bombay and related papers.

II. Reports and Accounts (1993-94) of various Textile Export Promotion Councils and related papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS SHRI MATANG SINGH: Madam on behalf of SHRI G. VENKAT SWAMY I lay on the Table a copy each in (English and Hindi) of the following papers:—

I (i) (a) Annual Report and Accounts of the Textiles Committee,